



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-79

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268815 दिनांक 26/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kusum Gangwal W/o MAHENDRA KUMAR GANGWAL एवं Rahul Gangwal S/o MAHENDRA KUMAR GANGWAL	श्री के. बी. एल. सेठ पुत्र श्री एम. एल. सेठ	83	272.00 SQ. YARD	Cooperative	SHYAM NAGAR Sector/Block-C	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री चन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री सी. एल. पंवार एवं श्री के. बी. एल. सेठ पुत्र श्री एम. एल. सेठ द्वारा अनभिज्ञता के कारण एक-दूसरे के भूखण्डों पर भवन निर्माण कर लेने से अपनी-अपनी सुविधानुसार भूखण्ड संख्या सी-84 एवं सी-83 के संबंध में दिनांक 26.05.2001 को निष्पादित रजिस्टर्ड बदल पत्र, श्री चन्द्र सिंह पंवार द्वारा भूखण्ड संख्या सी-83 बाबत दिनांक 15.06.2001 को श्री राजेश भाटिया पुत्र श्री नारायण आर भाटिया के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kusum Gangwal W/o MAHENDRA KUMAR GANGWAL एवं Rahul Gangwal S/o MAHENDRA KUMAR GANGWAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |